संख्या–1/88बी/क0नि–6–2017–1(बी)/2017

प्रेषक,

अनुराग यादव,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग–6 लखनऊः दिनॉकः02 सितम्बर, 2017

विषय : फसल ऋण मोचन योजना के संबंध में।

महोदय,

फसल ऋण मोचन योजना की प्रगति के विषयगत की गयी वीडियों कान्फ्रेंसिंग दिनांक 31.08.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। वीडियों कान्फ्रेंसिंग की अवधि में ही विस्तृत रूप से आप समस्त को योजना के विभिन्न चरणों एवं की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में अवगत कराया गया था तथापि आपकी सुविधा हेतु महत्वपूर्ण बिन्दुओं को पुनश्च रेखांकित किया जा रहा हैः–

1. प्रथम चरण में जनपदों द्वारा जिन कृषकों को अर्ह चयनित करते हुये उनके ऋण खातों में धनराशि भुगतान के विषयगत सूची प्रेषित की गयी थी, उपरोक्त विषयगत कृषि विभाग द्वारा मुख्यालय स्तर से धनराशि अंतरित की जा चुकी है अतः प्रथम चरण के अर्ह कृषकों के ऋण मोचन प्रमाण पत्र वितरण कराये जाने विषयक आयोजित किये जाने वाले जिला/तहसील स्तरीय कैम्प की व्यवस्था ससमय भली–भॉति सुनिश्चित कर ली जाये।

2. समस्त बैंक शाखा प्रबन्धकों के साथ तत्काल बैठक कर अवश्यम्भावी रूप से यह सुनिश्चित कर ले कि शाखा प्रबन्धकों द्वारा पोर्टल पर अपना प्रोफाइल अपडेशन सुनिश्चित कर लिया गया है और अपनी शाखा के विषयगत तहसील मैपिंग का कार्य भी भली–भॉति सुनिश्चित कर लिया गया है जिससे कि ऋण मोचन प्रमाण पत्र के पोर्टल से प्रिन्ट किये जाने में कोई कठिनाई आपके समक्ष न रहे।

3. जैसा कि आप सभी अवगत है कि योजना के आरम्भिक चरण में बैंकों द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध कराये गये डाटा की भूलेख मैपिंग का कार्य किया जाना था। यद्यपि उपरोक्त विषयगत अधिकांश कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर लिया गया था तथापि उक्त कार्य का शत–प्रतिशत किया जाना आवश्यक है। अतः शाखा प्रबन्धकों के साथ बैठक में यह बिन्दु भी सुनिश्चित कर ले कि उनके द्वारा समस्त डाटा की मैपिंग कर ली गयी है और यदि अभी तक उपरोक्त प्रकिया में कुछ कार्य अवशेष रह गया हो तो उक्त को भी शत–प्रतिशत यथाशीघ्र भी पूर्ण कर ले।

4. प्रथम चरण में जो आधारयुक्त डाटा जनपदों को सत्यापन हेतु उपलब्ध कराया गया था उसमें सत्यापन हेतु जो डाटा अवशेष रह गया हो उसका सत्यापन तत्काल पूर्ण कर लिया जाये।

5. प्रथम चरण में उपलब्ध कराये गये डाटा के सत्यापन के साथ–साथ जनपद में अवशेष अन्य समस्त डाटा के राजस्व कर्मी द्वारा सत्यापन/कृषकों के स्वप्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने की कार्यवाही एवं आधार लिंक कराये जाने की कार्यवाही शत–प्रतिशत आगामी 10 दिवस में प्रत्येक दशा में पूर्ण की जानी है। अतएव उपरोक्त हेतु उचित होगा कि आप अपने स्तर पर जनपद में अवस्थित बैंक शाखाओं के डाटा (शाखावार) एवं

राजस्व ग्रामवार इस विषय में की जा रही प्रगति की समीक्षा दैनिक रूप से करे जिससे कि सत्यापन की कार्यवाही शत–प्रतिशत सुनिश्चित हो सके और समस्त कृषकों के खातों का आधार लिंक किया जा सके।

6. कतिपय जनपदों में योजना के आरंभिक चरण में बैंक शाखाओं द्वारा डाटा की मैपिंग किये जाने में कुछ डाटा Other की श्रेणी में डाल दिया गया था। ऐसे प्रकरणों में शाखावार उपरोक्त ऋण खातों से संबंधित भूमि का विवरण तत्काल प्राप्त कर शत–प्रतिशत उसका सत्यापन कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

7. कृषि निदेशक द्वारा जिला कृषि अधिकारी जनपद हापुड़, ललितपुर, बुलन्दशहर, गोरखपुर, हरदोई, प्रतापगढ, रायबरेली, सीतापुर एवं महराजगंज को प्रेषित संख्या–एस0कैम्प–44/फ0ऋ0मो0–योजना/2017–18, लखनऊ दिनांक 02.08.2017 में वर्णित बिन्दुओं के विषयगत अभी तक कार्यवाही लम्बित है। कृपया इस विषय में संबंधित जिलाधिकारी स्वयं सर्वोच्च प्राथमिकता पर उक्त वर्णित पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही आगामी 03 दिवसों में सुनिश्चित कर लें।

8. योजनान्तर्गत हेल्पलाइन/पोर्टल एवं अन्य स्रोतों से जनपद में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण को भी प्रभावी रूप से सुनिश्चित कराया जाये।

9. वेब पोर्टल पर कार्यवाही किये जाने के विषय में समय–समय पर विभिन्न जनपदों द्वारा दिये गये फीडबैक के आधार पर एन0आई0सी0 द्वारा पोर्टल पर विभिन्न रिपोर्ट एक्सेल में प्राप्त किये जाने की सुविधा के विषयगत कार्यवाही सतत् रूप से की जाती रहती है अतः यह अपेक्षित है कि आप स्वयं प्रत्येक दिन एक बार डी0एल0सी0 लॉगिन पर एन0आई0सी0 द्वारा उपलब्ध करायी जा रही रिपोर्ट के सुविधाजनक रूप से देखे जा रहे विषयगत प्रेषित एस0ओ0पी0 को अवश्य अवलोकित कर लिया करे और इस विषय में यह उचित होगा कि जनपद के डी0आई0ओ0 एन0आई0सी0 से यथा संभव प्रत्येक दिन अद्यतन जानकारी अवश्य कर ली जाये जिससे कि योजनान्तर्गत कार्य किये जाने में सुविधा रहे।

मुझे आशा ही नही बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपके कुशल दिशा–निर्देशन में योजनान्तर्गत अवशेष समस्त कार्य निर्धारित समयावधि में शत–प्रतिशत पूर्ण कर लिये जायेंगे।

भवदीय,

(अनुराग यादव)
सचिव

प0पृ0सं0– बी/क0नि0–6–2017,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन।
2. विशेष सचिव, संस्थागत वित्त विभाग (श्री अमृत त्रिपाठी), उ0प्र0 शासन।
3. विशेष सचिव, कृषि विभाग, (श्री पवन कुमार), उ0प्र0 शासन।
4. महानिदेशक, संस्थागत वित्त, बीमा एवं वाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, लखनऊ ।
6. निदेशक, कृषि निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि वे समस्त जिला कृषि अधिकारी को उपरोक्त कार्यवाही हेतु निर्देशित करें।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह मौर्य)
उप सचिव।